



राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०

प्रपत्र-3

(नियम-10(क) और 12 देखिए)

किसी प्रविष्टि के विवरण में संशोधन हेतु आवेदन

सेवा में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तहसील विकास खण्ड

जनपद

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे सम्बन्धित प्रविष्टि जो निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या पर निम्नानुसार दर्ज है

उक्त प्रविष्टि इस रूप में है, शुद्ध नहीं है। इसे निम्नानुसार शुद्ध किया जाय :-

.....
.....
.....

मैं, सत्यापित करता हूँ कि इस आवेदन - पत्र में लिखित विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

मैं, उस ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या की निर्वाचक नामावली में, जिसमें कि आवेदक का नाम दर्ज है, सम्मिलित निर्वाचक हूँ। मेरा नाम उक्त नामावली में क्रमांक पर अंकित है। मैं, सत्यापित करता हूँ कि इस आवेदन-पत्र में लिखित बात मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
पूरा नाम.....

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनाएं निर्वाचक से अपेक्षित हैं :-

1. मोबाइल नं० 2. आधार कार्ड नं०.....

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

कार्यालय के उपयोगार्थ हेतु

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी



कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

तहसील..... जनपद.....

निर्वाचक नामावली में परिवर्धन/संशोधन/अन्यत्र रखे जाने हेतु प्रस्तुत दावा या आपत्ति की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी जो ग्राम पंचायत
विकास खण्ड तहसील का/की निवासी है, से ग्राम पंचायत
..... के वार्ड संख्या की निर्वाचक नामावली में क्रमांक पर, का नाम सम्मिलित
किए जाने/ संशोधन करने/अन्यत्र रखे जाने हेतु आवेदन किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

दावा/आपत्ति प्राप्त करने के लिए
अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर
आज्ञा से
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी